न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-195/2006

1- बोदूराम (मृत) नाम हजफ

2- नारायण पुत्र रामलाल

3- श्रीराम पुत्र रामलाल

4- हरफूल पुत्र रामलाल

5- रामकुमार पुत्र मालाराम

6- लक्ष्मण पुत्र मालाराम

7- शीशराम पुत्र मालाराम

8- बलबीर पुत्र मालाराम

जाति जाट निवासी ढाणी ठाकुरवाला तन झालरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ।

---रेस्पोन्डेन्ट--

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-8-2006 द्वारा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री पोकरमल राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक- 5.3.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्टस् ने अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 120, 366, 367, 369, 370 से 373 ग्राम झालरा में वादी सं0-1 से 4 प्रत्येक का 1/5 एवं वादी सं0-5 से 9 का 1/5 हिस्सा है । उक्त आराजी के सीवां जोड आराजी ख0नं0121 रकबा 0.25 हैक्टर, 119 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0नं0 374 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा एवं ख0नं0 376 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 1.76 हैक्टर एवं 4 बीघा 9 बिस्वा गैर मुमकीन जोहड बंजड ग्राम झालरा में स्थित है जिसको वादीगण सम्वत 2030 से काश्त करते आ रहे हैं जिसमें काफी धन खर्च कर इसे विकसीत किया है। उक्त आराजी का खसरा परिवर्तनशील वादीगण के नाम से दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी हो चुका है कि जिन जिन भूमियों पर जुलाई 1984 से पूर्व सिंचायचक भूमियों पर काश्तकारों का नाम दर्ज है कब्जा है उन भूमियों का नियमन कर दिया जावे । तहसीलदार नीमकाथाना का उक्त कार्यवाही करने का दायित्व था किन्तु तहसीलदार ने अपने दायित्व को नहीं निभाया। गिरदावर हल्का एवं पटवारी ने उक्त आराजी में पेडो की लूंग पातडी की बोली लगाने गये तब वादीगण ने अन्तिम बोली 405/-रूपये में छुडा ली गिरदावर हल्का ने वादीगण को कह दिया की बोली आपके नाम छुट गई । जिस पर वादीगण चले गये । किन्तु दिनांक 11-11-95 को पटवारी एवं गिरदावर हल्का ने वादीगण को बिना सूचना दिये ही नीलामी करने गये तथा लूंग पातडी की नीलामी अन्य व्यक्ति के नाम छोड कर चले गये तब बाद में वादीगण को मालूम चला जिस पर यह दावा उक्त आराजी वादीगण के नाम नियमन किये जाने के लिये किया गया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की थी । किन्तु अदालत मातहत ने तनकीयात का अलग अलग निर्णय न कर आदेश -20 नियम -5 सीपीसी के प्रावधानों के विपरित अपना निर्णय पारित किया है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का भी अवलोकन न कर आदेश पारित किया है । जबकि प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के आधार पर उक्त आराजी का अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने राजस्व रेकार्ड की अनदेखी कर अपना आदेश पारित किया है । अपीलान्ट का विवादित आराजी पर लगभग-40 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है । जिससे विवादित आराजी अपीलान्ट के पक्ष में नियमन किये जाने योग्य होते हुये भी नियमन न कर कानूनी भूल की है।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर अपीलान्ट का दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श । से 8 लगान की रसीदें वादीगण के नाम दर्ज है । प्रदर्श-9 राज0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत नोटिस, बोदू,नारायण,श्रीराम हरफूल पुत्र रामलाल, रामकुमार पुत्र मालाराम को विवादित आराजी पर अतिक्रमण पर दिया गया है ।इसी प्रकार प्रदर्श-10 भी धारा-91 का नोटिस है जो ख0नं0 119 व 376/2 के बाबत माला,बोदू नारायण श्रीराम हरफूल पुत्र रामलाल को जारी किया गया है ।इसी प्रकार प्रदर्श-11 का नोटिस भी अतिक्रमण किये जाने पर वादीगण को जारी किया है ।प्रदर्श-12 खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2038 में ख0नं0 119 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर वादीगण की काश्त दर्ज है । प्रदर्श-14 नकल नक्शा का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-15 से 18 मौका

कमिश्नर रिपोर्ट में विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त दर्ज है । प्रदर्श-19 से 22ए का अवलोकन किया । राजस्व रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट एवं राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के नोटिसों से विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस को अपीलान्ट भी स्वीकार करते हैं । विवादित आराजी की किस्म बजंड दोयम दर्ज है। धारा-91 के नोटिस लगान की रसीद एवं खसरा परिवर्तनशील के अलावा अपीलान्ट ने विवादित आराजी की जमाबन्दी पेश नहीं की जो दावे में अहम दस्तावेज है । जमाबन्दी के बिना यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नहीं । वादीगण ने यह दावा विवादित आराजी को नियमन किये जाने बाबत पेश किया है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में स्पष्ट दर्ज किया है कि नियमन की कार्यवाही अलग प्रक्रिया के अनुसार होती है । दावे में नियमन नहीं की जा सकती । योग्य अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । विवादित आराजी राजकीय भूमि है जिसके बाबत नियमन की कार्यवाही दावे में नहीं की जा सकती । अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-8-2006 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.3.2018 को सुनाया गया ।

5/3/18

भंवरलाल मेहरड़ा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर